Gmail

Sadhana Mishra <sadhanamishramzp@gmail.com>

20-01-2026

Sadhana Mishra <sadhanamishramzp@gmail.com> Sun, Jan 18, 2026 at 9:30 PM
To: SHAKUNTALA GAUTAM <hearingcourts9.upic@up.gov.in>
Cc: uphrclko@yahoo.co.in, spmz-up@nic.in, cmup@nic.in

To: hearingcourts9.upic@up.gov.in

Cc: uphrclko@yahoo.co.in, spmz-up@nic.in, cmup@nic.in

Subject: Written Submission for Appeal No S09 A 0719 2025 Hearing Date 20 January 2026

To The Honorable State Information Commissioner

Hearing Room S-9 Uttar Pradesh Information Commission Lucknow

Reference Appeal Number S09/A/0719/2025 (Registration No A-20250300419) Appellant Sadhana Tiwari Respondent PIO Office of Superintendent of Police Mirzapur

Respected Madam

In compliance with the order dated 28 November 2025 I Sadhana Tiwari am submitting my written rejoinder regarding the misleading information provided by the PIO Mirzapur[5].

1. **CHALLENGE TO INFORMATION PROVIDED** The Respondent claims that information was sent via letters dated 21 February 2025 and 22 May 2025. I state that this information is factually incorrect and contradicts the official public records maintained by the Revenue Department.

2. **PROOF OF MINORITY** I was born in 1995. At the time of the inheritance Varasat entry dated 19 June 2007 (Case No 255/2007) I was a 12 year old minor. Legally a minor cannot be a party to an oral partition or family settlement that results in the forfeiture of their birthright.

3. **CONTRADICTION OF POLICE REPORT** The police report relies on an oral partition claim dated before 2001[11]. However the official Revenue Record Udharan Khatauni 1419 to 1424 Fasli for Village Bhaisod Balay Pahad Khata Number 00090 proves the property remained in the name of my deceased grandfather Shambhu Saran Mishra until 19 June 2007.

4. **EVIDENCE OF FORGERY** My name as a Class 1 heir was intentionally omitted from the 2007 inheritance. The land was then sold to a third party on 07 July 2007 just 18 days after the inheritance was processed. This clearly proves a criminal conspiracy and abuse of power.

5. **CHANGE IN CIRCUMSTANCES** I inform the Commission that my husband passed away on 22 December 2025. I am now a vulnerable widow with no

source of income. This property is my only means of survival and the denial of accurate information is a violation of my Right to Life under Article 21.

PRAYER

I humbly pray that the Commission rejects the PIO response and directs the PIO to provide a certified copy of the Registered Partition Deed or a categorical statement that no such deed exists19191919. I further request that the Commission recommend a high level inquiry into the collusion between the Revenue staff and the Mirzapur Police20.

Respectfully Submitted

Sadhana Tiwari Mobile 6387233091 Date 18 January 2026

---

sadhanadoc.pdf
890K

Gmail

Sadhana Mishra <sadhanamishramzp@gmail.com>

Evidence of Forgery and Administrative Negligence

2 messages

Sadhana Mishra <sadhanamishramzp@gmail.com> Wed, Dec 31, 2025 at 11:39 PM
To: uphrclko@yahoo.co.in, up-hrc@nic.in, covcompl@nic.in
Cc: spmz-up@nic.in, cmup@nic.in, arvind.12574@gov.in, dgp@nic.in, digrmz@nic.in, hgovup@nic.in, csup@nic.in

Reference Details

- **Main Case/File Number:** 10035/24/55/2024
- **Primary Diary Number:** 3613/IN/2024 (Registered on 02/09/2024)
- **Linked Diary Number (Most Recent):** 4255/IN/2025 (Registered on 26/06/2025)
- **Previous Linked Diary Number:** 367/IN/2025 (Registered on 21/01/2025)

To,

The Honorable Chairman,

Uttar Pradesh State Human Rights Commission,

TC-34 V-1, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow.1

Subject: Evidence of Forgery and Administrative Negligence in Case No. 10035/24/55/2024 (Diary No. 4255/IN/2025).

Respected Sir,

I, Sadhana Tiwari, draw your kind attention to the ongoing proceedings in the aforementioned case regarding the "Abuse of Power" and "Criminal Conspiracy" involving the usurpation of my ancestral property.

I wish to submit critical evidence that proves the **Circle Officer (CO) Lalganj** and **SP Mirzapur** have submitted arbitrary and bogus reports to this Commission. While the police claim a family partition was finalized before 2001, the official **Revenue Record (Udharan Khatauni 1419-1424 Fasli)** for Village Bhaisod Balay Pahad, Khata No. 00090, confirms the following:

- **Contradiction of Partition:** The property was still recorded in the name of my deceased grandfather, Shambhu Saran Mishra, until a formal **Varasat (Inheritance)** entry was made on **19/06/2007** (Case No. 255/2007).
- **Omission of Class-1 Heir:** During this 2007 inheritance, my name was intentionally omitted despite my status as a Class-1 heir and a minor (10 years old) at the time.[2]
- **Criminal Intent:** Immediately after this flawed inheritance, the land was sold to a third party on **07/07/2007**.

The matter is currently being heard by the **State Information Commission (Appeal No: A-20250300419)** to expose the lack of a registered partition deed, which proves the police report is based on concocted oral stories rather than public records.

I pray that the Commission rejects the arbitrary report dated **28/02/2025** and orders a high-level inquiry into the collusion between the Revenue staff of Tehsil Lalganj and the Mirzapur Police.

Respectfully,

Sadhana Tiwari, Mobile number-6387233091

Date: 21/09/2025

SadhanaUPHRC.pdf
750K

Sadhana Mishra <sadhanamishramzp@gmail.com> Sun, Jan 18, 2026 at 8:33 PM
To: uphrclko@yahoo.co.in, up-hrc@nic.in, covcompl@nic.in
Cc: spmz-up@nic.in, cmup@nic.in, arvind.12574@gov.in, dgp@nic.in, digrmz@nic.in, hgovup@nic.in, csup@nic.in

Request of a vulnerable widow having no source for two square meals.

To, The Honorable Chairman, Uttar Pradesh State Human Rights Commission, Lucknow.

Reference: Case No. 10035/24/55/2024 (Diary No. 4255/IN/2025) **Complainant:** Sadhana Tiwari

SUBJECT: ADDENDUM TO COMPLAINT - REJECTION OF BIASED POLICE REPORT DATED 28/02/2025

Respected Sir,

In continuation of my previous submission regarding the forgery and administrative negligence in Mirzapur, I wish to place on record my strongest objection to the "justification" provided by the local police. The police report claims that my father’s brothers are my "well-wishers" because they arranged my marriage to a widower, and therefore my rights were "settled."

I challenge this narrative on the following legal and humanitarian grounds:

1. Marriage is Not a Substitute for Inheritance Under the **Hindu Succession (Amendment) Act** and the landmark Supreme Court judgment in ***Vineeta Sharma v. Rakesh Sharma (2020)***, a daughter is a "Coparcener" (equal heir) by **birth**. The police’s claim that marriage expenses satisfy a property claim is legally illiterate. My birthright cannot be "bought" or "traded" via marriage costs.

2. Criminal Omission of a Minor (2007) As per the **Udharan Khatauni (1419-1424 Fasli)**, the inheritance (*Varasat*) was processed on **19/06/2007**.

- In 2007, I was a **10-year-old minor**.
- A minor cannot be a party to an "Oral Partition."

- The exclusion of a Class-1 minor heir from the *Varasat* list is a **Criminal Offence** under Section 420 (Cheating) and Section 467/468 (Forgery) of the IPC (now BNS).

3. Exploitation of Vulnerability The police claim these individuals are "well-wishers." I ask the Commission: **Can individuals who intentionally deleted a 10-year-old orphan's name from land records to facilitate a sale only 18 days later (07/07/2007) be termed "well-wishers"?** This is a clear "Abuse of Power" by the police to shield offenders by giving a criminal conspiracy a "social" color.

4. Change in Circumstances I inform the Commission with a heavy heart that my husband passed away on **December 22, 2025**. I am now a widow with no source of income. The land that was stolen from me in 2007 is my only means of survival. The denial of this property is a violation of my **Right to Life and Dignity (Article 21)**.

PRAYER: I humbly pray that the Commission:

1. **Reject the Report** of the SP Mirzapur as it contradicts the primary Revenue Records of 2007.
2. **Order an FIR** against the then-Revenue officials and the beneficiaries for the fraudulent inheritance entry.
3. **Direct the District Magistrate** to provide me with immediate protection and social security as a vulnerable widow.

Respectfully,

vulnerable widow Sadhana Tiwari Mobile: 6387233091 Date: 18/01/2026

[Quoted text hidden]

एस.पी. कार्यालय मीरजापुर
आवश्यक कार्यवाही समय से सुनिश्चित करें।

17.10.24

उत्तर प्रदेश मानव अधिकार आयोग

मानव अधिकार भवन , TC-34 V-1, विभूति खंड ,
गोमती नगर , लखनऊ (यू.पी.), पिन कोड:226010
टेलीफोन: , फैक्स: 2728108
ईमेल: uphrclko@yahoo.co.in, वेबसाइट: http://uphrc.up.nic.in/

Case No. 10035/24/55/2024 Date:03/10/2024

सेवा में,

THE SUPERINTENDENT OF POLICE
MIRZAPUR

अवगत कराना है की SADHANA TIWARI से प्राप्त शिकायती-पत्र/सूचना(प्रति संलग्न) के माध्यम से आयोग के संज्ञान में आये मामले पर विचारोपरान्त आयोग द्वारा दिनांक 05/09/2024 को निम्नलिखित आदेश पारित किये गये है :

I have perused the allegations made in the complaint of complainant Sadhana Tiwari. Keeping in view the nature of allegations made in the complaint it would be appropriate to send a copy of the complaint to the Superintendent of Police, Mirzapur who shall look into the matter and do the needful in accordance with law at his end with the intimation to the complainant. I have not expressed any opinion on the merit of the complainant's case. Subject to the above observations the complaint is finally disposed of.

SD/-
(Braj Bhushan)
Member
05/09/2024

2. अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि कृपया इस मामले में आयोग के उपरोक्त आदेश के अनुपालन में आवश्यक/समुचित कार्यवाही करने का कष्ट करे।

आज्ञा से,

(विधि अधिकारी/लिंक अधिकारी)

संलग्नक: यथोपरि

उपरोक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

SADHANA TIWARI
SUREKAPURAM COLONY, JABALPUR ROAD, MIRZAPUR CITY
MIRZAPUR,UTTAR PRADESH,231001

<u>कार्यालय क्षेत्राधिकारी लालगंज जनपद मीरजापुर</u>

सेवा में,

आवेदिका श्रीमती साधना तिवारी निवासी-सुरेखापुरम कालोनी जबलपुर रोड मीरजापुर। पिन कोड-231001 मो0न0-6387233091

कृपया अपने आवेदन का सन्दर्भ ग्रहण करें, जो जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आपके द्वारा मांगी गयी सूचना में अंकित बिन्दुओ पर सूचना उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है के सम्बन्ध में आप द्वारा अपेक्षित वांछित सूचना सर्किल लालगंज कार्यालय द्वारा प्रेषित की जा रही है जो बिन्दुवार निम्नवत्-

1-कृपया इस बिन्दु के सम्बन्ध मे अवगत कराना है कि आवेदिका साधना तिवारी द्वारा उ0प्र0 मानवाधिकार आयोग मे प्रेषित प्रा0पत्र जरिये आनलाईन प्राप्त होने के पश्चात वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मीरजापुर के आदेशोपरान्त प्रकरण की जाँच कर आख्या तत्समय प्रेषित की गयी थी। प्रकरण की जाँच में उभय पक्षो के मध्य पुश्तैनी सम्पत्ति के बटवारे/हिस्सेदारी के विवाद का होना पाया गया था जिसके सम्बन्ध में आवेदिका द्वारा राजस्व विभाग में भी आवेदन किया गया था। जाँचोपरान्त राजस्व विभाग द्वारा आवेदिका को वंशवृक्ष के आधार पर तहसीलदार न्यायालय में रा0सं0 की धारा-34 के तहत वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त करने हेतु बताया गया था।

2-कृपया इस बिन्दु के सम्बन्ध मे अवगत कराना है कि तत्समय आवेदिका साधना तिवारी द्वारा उ0प्र0 मानवाधिकार आयोग मे प्रेषित प्रा0पत्र जरिये आनलाईन प्राप्त होने के पश्चात वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मीरजापुर के आदेशोपरान्त प्रकरण की जाँच कर आख्या तत्समय प्रेषित की गयी थी। प्रकरण की जाँच में उभय पक्षो के मध्य पुश्तैनी सम्पत्ति के बटवारे/हिस्सेदारी के विवाद का होना पाया गया था जिसके सम्बन्ध में राजस्व विभाग से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर आख्या प्रेषित की गयी थी। प्रकरण की पुनः जाँच हेतु आवेदिका द्वारा पुनः आवेदन करने पर जाँच की जायेगी।

3- कृपया इस बिन्दु के सम्बन्ध मे अवगत कराना है कि तत्समय आवेदिका साधना तिवारी द्वारा उ0प्र0 मानवाधिकार आयोग मे प्रेषित प्रा0पत्र जरिये आनलाईन प्राप्त होने के पश्चात वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मीरजापुर के आदेशोपरान्त प्रकरण की जाँच कर आख्या तत्समय प्रेषित की गयी थी। प्रकरण की जाँच में उभय पक्षो के मध्य पुश्तैनी सम्पत्ति के बटवारे/हिस्सेदारी के विवाद का होना पाया गया था जिसके सम्बन्ध में राजस्व विभाग से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर आख्या प्रेषित की गयी थी। प्रकरण की पुनः जाँच हेतु आवेदिका द्वारा पुनः आवेदन करने पर जाँच की जायेगी।

4-कृपया इस बिन्दु के सम्बन्ध मे अवगत कराना है कि आवेदिका द्वारा उ0प्र0 मानवाधिकार आयोग मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर मा0आयोग द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मीरजापुर को अपने स्तर से कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त प्रार्थना पत्र आयोग प्रकोष्ठ के माध्यम से मुझ क्षेत्राधिकारी लालगंज को जांच हेतु प्राप्त हुआ। मुझ क्षेत्राधिकारी लालगंज द्वारा प्रकरण की जांच कर आख्या दिनांक-28.02.2025 को आयोग प्रकोष्ठ मीरजापुर को प्रेषित किया गया है, मेरे द्वारा प्रेषित जांच आख्या को अपर पुलिस अधीक्षक नगर मीरजापुर /नोडल अधिकारी द्वारा देखकर सीन किया गया है, जाँच से किसी प्रकार का आपराधिक तथ्य प्रकाश में नही आया है। दिनांक-28.02.2025 की जाँचआख्या की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है।

दिनांक:- 21/12/25

क्षेत्राधिकारी लालगंज
मीरजापुर

क्षेत्राधिकारी-लालगंज
मीरजापुर

अपर पुलिस अधीक्षक नगर

जनपद मीरजापुर।

कृपया अपने पत्र संख्याःआयोग प्र0/पु0अ0नगर/सी-3(07)/2025 दिनांक 31.01.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जो उ0प्र0 मानवाधिकार आयोग लखनऊ मे प्रचलित केस संख्याः10035/24/55/2025 दिनांकित 03.10.2024 के माध्यम से प्राप्त आवेदिका श्रीमती साधना तिवारी निवासी सुरेकापुरम् कालोनी जबलपुर रोड मीरजापुर द्वारा प्रेषित शिकायती प्रार्थना पत्र मे अंकित आरोपो की जांच कर आख्या उपलब्ध कराये जाने विषयक है।

आरोप—

विपक्षीगण द्वारा आवेदिका के पिता के हिस्से की जमीन को अपने नाम वरासत करा लेना आदि कतिपय आरोप अंकित है।

जांच विवरण—

संदर्भित प्रकरण की जांच के क्रम मे सम्बन्धित का अभिकथन अंकित किया गया,थाना ड्रमण्डगंज व राजस्व विभाग से प्राप्त आख्या / अभिलेखो का अवलोकन किया गया विवरण निम्नवत है—

1—बयान साधना तिवारी पत्नी ओमकारनाथ तिवारी निवासी सुरेकापूरम् कालोनी थाना को0 कटरा जनपद मीरजापुर बता रही है कि मेरा मायका भैसोड़ बलाय पहाड़ी थाना ड्रमण्डगंज मीरजापुर मे स्थित है। मेरे पिता सियाकान्त मिश्रा थे, जिनकी मै एकमात्र पुत्री हूँ। मेरे पिता की मृत्यु वर्ष 2001 मे हो गयी है। मेरे पिता के मृत्यु के पश्चात मेरे बड़े पापा दयाशंकर व हरिप्रसाद मिश्रा द्वारा मेरा लालन पालन किया गया जिनके द्वारा मेरी शादी वर्ष 2012 मे कराने के पश्चात मेरे पिता के हिस्से की सारी जमीन अपने नाम करा लिया गया है। जबकि मेरे पिता के हिस्से की जमीन मे कुछ भी मुझे नही दिया गया और चोरी से सारी सम्पत्ति विपक्षीगण द्वारा अपने नाम कराया गया है। मै चाहती हूँ कि विपक्षीगण के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत हो तथा मेरे पिता के हिस्से की सम्पत्ति को मुझे दिलाया जाय।

2—बयान दयाशंकर मिश्र पुत्र स्व0 शम्भूसरण मिश्र निवासी भैसोड़ बलाय थाना ड्रमण्डगजं जनपद मीरजापुर बता रहे है कि साधना तिवारी मेरे सबसे छोटे भाई सियाकान्त मिश्र की पुत्री है। मेरे भाई की पुत्री साधना तिवारी जब 03 वर्ष की थी उसी समय मेरे पिता जी द्वारा अपने जीवनकाल मे ही हम तीनो भाईयो का आपसी बटवारा कर दिये थे, जिसके बाद हम तीनो भाई अपने अपने हिस्से मे रह रहे थे। मेरे छोटे भाई की मृत्यु से पूर्व उनके दवा इलाज मे मेरे पिता जी द्वारा उनके हिस्से की सारी जमीन बेच दिये थे। जब मेरे भाई की मृत्यु हो गयी तो हम दोनो भाईयो द्वारा आवेदिका का लालन पालन किया तथा शादी विवाह किया। मेरे पिता की मृत्यु के पश्चात मेरी माता के नाम समस्त सम्पत्ति वरासत हो गया था। मेरी माता की मृत्यु उपरान्त उक्त जमीन हम दोनो भाईयो के नाम हो गयी। मेरे छोटे भाई का हिस्सा उनके दवा इलाज मे मेरे पिता जी द्वारा बेच दिया गया था। हम लोगो द्वारा अपने भाई का हिस्सा नही लिया गया है यदि आवेदिका को लगता है कि उसके पिता का हिस्सा बचा है तो अपने पिता के हिस्से से सम्बन्धित जमीन का कागज देकर अपने पिता की हिस्से की जमीन ले ले हमे कोई आपत्ति नही होगी।

अभिलेखीय साक्ष्य—

1—उद्धरण खतौनी दिनांक 10.12.2024 का अवलोकन।

समीक्षा—

आवेदिका श्रीमती साधना तिवारी निवासी सुरेकापुरम् कालोनी जबलपुर रोड मीरजापुर द्वारा प्रेषित शिकायती प्रार्थना पत्र मे अंकित आरोपो की जांच के क्रम मे सम्बन्धित के अंकित किये गये बयान,थाना ड्रमण्डगंज व राजस्व विभाग से प्राप्त आख्या / अभिलेखो के अवलोकन तथा अन्य श्रोतो से की गयी छानबीन / जानकारी से यह तथ्य संज्ञान मे आया कि आवेदिका के पिता आपस मे चार भाई थे, जिनकी करीब 60 विघा जमीन थी। विपक्षीगण हरिप्रसाद मिश्र व दयाशंकर मिश्र आवेदिका के बड़े पिता है। आवेदिका द्वारा बताया गया कि उसके पिता के हिस्से मे लगभग 15 विघा जमीन थी तथा

आवेदिका के पिता का नाम राजस्व अभिलेखो मे दर्ज था। आवेदिका जब नाबालिग थी तभी उसके पिता की मृत्यु हो गयी थी।पिता की मृत्यु के बाद उसके बड़े पिता द्वारा उसका लालन पालन शादी व्याह कराया गया है। जिसके पश्चात उसके पिता के हिस्से की जमीन को विपक्षीगण द्वारा अपने नाम करा लिया गया है। उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध मे आवेदिका द्वारा राजस्व विभाग मे प्रार्थना पत्र दिया गया था,जिसके सम्बन्ध मे राजस्व विभाग द्वारा जाचं की गयी, राजस्व विभाग के जांच आख्या का अवलोकन किया गया जिसमे मुख्य रुप से अंकित है कि आवेदिका के पिता सियाकान्त पुत्र शम्भू के नाम ग्राम भैसोड़ बलाय पहाड़ मे कोई जमीन आवेदिका के पिता के नाम से नही है। अपितू आवेदिका के दादा शम्भू के नाम पुर्व मे भूमि थी जिसका वरासत हो चुका है। अब कोई वरासत करना विधिक नही है। यदि आवेदिका चाहती है तो वंश वृक्ष के आधार पर तहसीलदार न्यायालय मे रा0सं0की धारा 34 के तहत वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त करे।

<u>निष्कर्ष—</u>

अबतक की तमामी जांच,सम्बन्धित के अंकित किये गये बयान,थाना ड्रमण्डगंज व राजस्व विभाग से प्राप्त आख्या / अभिलेखो के अवलोकन तथा अन्य श्रोतो से की गयी छानबीन / जानकारी से पाया गया कि आवेदिका के पिता आपस मे चार भाई थे, जिनकी करीब 60 विघा जमीन थी। विपक्षीगण हरिप्रसाद मिश्र व दयाशंकर मिश्र आवेदिका के बड़े पिता है। आवेदिका द्वारा बताया गया कि उसके पिता के हिस्से मे लगभग 15 विघा जमीन थी तथा आवेदिका के पिता का नाम राजस्व अभिलेखो मे दर्ज था। आवेदिका जब नाबालिग थी तभी उसके पिता की मृत्यु हो गयी थी।पिता की मृत्यु के बाद उसके बड़े पिता द्वारा उसका लालन पालन शादी व्याह कराया गया है। जिसके पश्चात उसके पिता के हिस्से की जमीन को विपक्षीगण द्वारा अपने नाम करा लिया गया है। उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध मे आवेदिका द्वारा राजस्व विभाग मे प्रार्थना पत्र दिया गया था,जिसके सम्बन्ध मे राजस्व विभाग द्वारा जाचं की गयी, राजस्व विभाग के जांच आख्या का अवलोकन किया गया जिसमे मुख्य रुप से अंकित है कि *आवेदिका के पिता सियाकान्त पुत्र शम्भू के नाम ग्राम भैसोड़ बलाय पहाड़ मे कोई जमीन आवेदिका के पिता के नाम से नही है। अपितू आवेदिका के दादा शम्भू के नाम पुर्व मे भूमि थी जिसका वरासत हो चुका है। अब कोई वरासत करना विधिक नही है। यदि आवेदिका चाहती है तो वंश वृक्ष के आधार पर तहसीलदार न्यायालय मे रा0सं0की धारा 34 के तहत वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त करे।* राजस्व विभाग की आख्या व उद्धरण खतौनी के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदिका के पिता के नाम से ग्राम भैसोड़ बलाय पहाड (आवेदिका के मायका) मे कोई जमीन नही है। फिर भी आवेदिका को बताया गया कि वंश वृक्ष के आधार पर तहसीलदार न्यायालय मे रा0सं0की धारा 34 के तहत वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त करे। आवेदिका द्वारा प्रेषित शिकायती प्रार्थना पत्र मे लगाये गये अन्य आरोपो के सम्बन्ध मे कोई पुष्टिकारक साक्ष्य नही पाये गये। *सुलभ संदर्भ हेतु राजस्व विभाग व उद्धरण खतौनी की छायाप्रति संलग्न है।*

आख्या सादर अवलोकनार्थ प्रेषित है।

संलग्नक-यथोपरि

दिनांक:फरवरी ,2025

(अशोक कुमार सिंह)
क्षेत्राधिकारी लालगंज
मीरजापुर

प्रमाणित

① रिपोर्ट थाना: ड्रमण्डगंज जनपद: मीरजापुर

सेवा में श्रीमान् तहसीलदार महोदय
तहसील: लालगंज जनपद: मीरजापुर

विषय: आवेदिका श्रीमती साधना तिवारी पत्नी ओमप्रकाश पाण्डेय/तिवारी ग्राम: सुरेखापुरम कालोनी सीकारोड थाना: कटरा को० जनपद: मीरजापुर (मो०नं० 6387233091) के सम्बन्ध में आख्या। पत्रांक 953/दि०ं 05.07.025

महोदय,

निवेदन है कि आवेदिका साधना तिवारी पत्र उपरोक्त के सम्बन्ध में मुझ SI द्वारा जाँचोपरान्त रिपोर्ट दी गयी है कि आवेदिका के बाबा शम्भू शरण मिश्र के चार पुत्र क्रमशः दयाशंकर, हरिप्रसाद, शियाकान्त, शिवशंकर व दो पुत्री क्रमशः रानिया व प्रेमिया थी। आवेदिका के पिता शियाकान्त की मृत्यु सन् 2001 में हो गयी व आवेदिका के बाबा शम्भूशरण की मृत्यु सन् 2005 में हुई थी। आवेदिका के बाबा शम्भूशरण के मृत्यु के पश्चात भूमि का वरासत दयाशंकर, हरिप्रसाद, शिवशंकर व रमादेइया पत्नी स्व० शम्भूशरण मिश्रा के नाम हो गयी। आवेदिका अपने बाबा शम्भू शरण मिश्रा की सम्पत्ति में अपने पिता स्व० शियाकान्त के हिस्से की सम्पत्ति चाहती है। उक्त प्रकरण का सम्बन्ध राजस्व विभाग से है। आवेदिका को बार-बार अवगत कराया गया कि उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त करे। आवेदिका द्वारा मा० राज्य सूचना आयोग गोमती नगर लखनऊ में भी अपील संख्या एस-09/ए/1668/2024 (पंजीकरण संख्या-ए-20240900896) अपील किया गया है। जिसमें दिनांक 29.05.2025 को तिथि नियत थी। आवेदिका द्वारा माननीय पीठासीन अधिकारी सुनवाई कक्ष संख्या 09 माननीय राज्य सूचना आयोग 7/7A आर० टी० आई० भवन विभूतिखण्ड गोमती नगर लखनऊ में उपस्थित न होने के कारण आवेदिका साधना तिवारी के प्रार्थना पत्र को मा० राज्य सूचना आयोग द्वारा निक्षेपित करा दिया गया।

रिपोर्ट सादर सेवा में प्रेषित है।

Sir Submitted

(हस्ताक्षर)
23/7/25
(हस्ताक्षर)
अखिलेश कुमार यादव
SI
थाना- ड्रमण्डगंज
जनपद- मीरजापुर

थाना-ड्रमण्डगंज जनपद-मीरजापुर

सं0....01.......
No. ....

उत्तर प्रदेश सरकार

Frome-6

GOVERMENT OF UTTER PRADESH

पंचायत राज......विभाग/.....मीरजापुर.........
(प्रमाण पत्र जारी करने वाले स्थानीय निकाय का नाम)

DEPARTMENT OF..
(Name of local body issuing certificate)

मृत्यु प्रमाण-पत्र
,DEATH CERTIFICATE

(जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीरण अधिनियम, 1969 की धारा 12/17 तथा...उ0प्र0........(राज्य का नाम)
जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, ...2005........(संशोधित नियम को अधिसूचित किए जाने का वर्ष)
के नियम 8/13 के अंतर्गत जारी किया गया)

(Issued under Section 12/17 of the Registration of Birth and Deaths Act, 1996 and Rule 8/13 of the U.P. (Name of state) Registration of Birth and Deaths Rules..........................(Years of notifying the revised rules)

यह प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित सूचना मृत्यु के मूल लेख से ली गई है तो कि (स्थानीय क्षेत्र).......मैंसोड़...बलाय...पहाड़....,...हलिया...तहसील......लालगंज.............. जिला-मीरजापुर राज्य-उत्तर प्रदेश के रजिस्टर में उल्लिलिखत हैं।

This is to certify that the following information has been taken from original record of Death which is the register for (local area/local body)..of tahsil/ block..............................of district MIRZAPUR state/Union territory UTTAR PRADESH.

नाम/Name :सीपाकान्त मिश्रा...लिंग/Sex.....पु0.............

मृत्यु/Date of Death..12/10/2001......मृत्यु स्थान/Place of Death...घर पर...................

माता का नाम/Name of Mother.......................................

पिता का नाम/Name of Father.....स्व0 शम्भु...................

मृतक का मृत्यु के समय का पता/
Address of deceased at the time of death :
ग्राम- मैंसोड़ बलाय पहाड़
पोस्ट- मैंसोड़ बलाय पहाड़
जनपद- मीरजापुर

मृतक का स्थाई पता/
Permanent address of the deceased :
ग्राम- मैंसोड़ बलाय पहाड़
पोस्ट- मैंसोड़ बलाय पहाड़
जनपद- मीरजापुर

पंजीकरण संख्या/Registration No.:...01/2024

पंजीकरण दिनांक/Date of Registration
05/01/2024

टिप्पणी/Remarks (if any)...............

प्राधिकरण का हस्ताक्षर/Signature of the issuing authority

जारी करने की तिथि/Date of Issue.05/01/2024

प्राधिकरण का पता/Address the issuing authority

मोहर/Seal

"Ensure registratio of every birth and death/प्रत्येक जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण सुनिश्चित

सचिव
ग्राम पंचायत मैंसोड़ बलाय पहाड़
वि0 ख0 हलिया, मीरजापुर

उद्धरण खतौनी

उद्धरण क्रमांक : 211982201803263

ग्राम क्रमांक : 211982   ग्राम का नाम / परगना : भैसौड़कलापहाड़(कंतित)   तहसील : लालगंज   जनपद : मिर्जापुर   फसली वर्ष : 1419-1424   भाग : 1

खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	मौरूसिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	——————2——————	3	4	5	6	7-12	13
श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों केअधिकार में हो।							
00090	जगदीश,रामनेश / लालमनि / नि. ग्राम गुलाबशंकर,इन्द्रेशप्रसाद / लालमनि / नि. ग्राम नवनीतकुमार / लक्ष्मीनारायन / नि. ग्राम दयाशंकर / शम्भूशरन / नि. ग्राम हरिप्रसाद / शम्भूशरन / नि. ग्राम शिवशंकर / शम्भूशरन / नि. ग्राम रमदेइया / स्व0शम्भूशरन / नि. ग्राम	1387फ0 1387फ0 1387फ0 1387फ0 1387फ0 1387फ0 1387फ0 1387फ0 1387फ0 1387फ0 1387फ0 1387फ0 1387फ0	2397 2398 2485 2486ख 2487 2495क 2507क 2623क 3330 3667ड0 2464 2465 2484	0.0700 0.0800 0.0400 0.2240 0.1500 0.0800 0.0400 0.0100 0.1100 0.0900 0.2000 0.1100 0.2200		1414फ. वाद सं0255/2007ना0तह0हलिया 19-6-2007मौजा भैसौड़कलापहाड़ तप्पा उपरौध परगना कंतित तह0 लालगंज जनपद मीरजापुर मं0 खतौनी फ0सन् 1413से 1418फ0के खाता सं084में सा0आ0नं0543/0-7-0, 544/0-8-0,547/0-5-0योग 3गाटा रकबा 1-0-0 से बने हाल आ0नं02464मि./0.089,2465/0.101, 2484/0.063हे0योग 3गाटा /0.253हे0भू0रा060ख के अनुसार से विक्रेता शम्भूशरन पुत्र रामनाथ (मृतक)के वारिस दयाशंकर व हरिप्रसाद व शिवशंकर पुत्रगण शम्भूशरन व रमदेइया पत्नी शम्भूशरन नि0ग्राम भैसौड़कलापहाड़ का नाम निरस्त करके केविका श्रीमती नवकी विधवा रामस्वरूप नि0ग्राम भैसौड़कलापहाड़ का नाम बतौर संक्र0भूमिधर दर्ज हो।ह0से07-7-2007 वाद सं0256/2007ना0तह0हलिया 19-6-2007मौजा भैसौड़कलापहाड़ तप्पा उपरौध परगना कंतित तहसील लालगंज जनपद मीरजापुर से सा0आ0नं0 343मि./0-6-0,मि.344/0-8-0,547मि./0-6-0योग 3गाटा रकबा 0-18-0से बनी खतौनी फ0सन् 1413से 1418फ0के खाता सं084की हाल	